

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2250
15 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी

2250. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयात पर निर्भरता कम करने और विद्युत चालित वाहन (ईवी) बैटरियों में प्रयुक्त लीथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं की खरीद को सुचारू बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या बैटरी आयात पर उच्च कर नवीकरणीय ऊर्जा को त्वरित रूप से अपनाने में एक बाधा है और क्या सरकार की भारत के ऊर्जा क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से परिवर्तन का त्याग किए बिना स्थानीय बैटरी उत्पादन के प्रोत्साहन को संतुलित करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की ई-अपशिष्ट और लीथियम बैटरी पुनर्चक्रण केंद्र विकसित करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): महोदय, आयात पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरी में प्रयुक्त लीथियम, कोबाल्ट, निकेल और दुर्लभ भू-गर्भीय धातुओं की खरीद को कारगर बनाने के लिए सरकार ने देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। स्कीम का कुल परिव्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी निर्माण की स्थापना की परिकल्पना की गई है (50 गीगावॉट)। इसके अतिरिक्त, उन्नत एसीसी प्रौद्योगिकियों के 5 गीगा वॉट घंटे को भी इस स्कीम के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है। इस स्कीम में प्रति किलोवॉट घंटा लागू सब्सिडी और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाले निर्माताओं द्वारा वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन का प्रावधान है।

(ग): महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली का मसौदा तैयार किया है जिसमें पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों की पुरानी बैटरियों के लिए एक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।
